सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ब
पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 21/2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां।

(प्रार्थी)

बनाम

श्री बालमुकन्द उम्र 55 वर्ष पुत्र रामप्रताप मालव जाति मालव निवासी हटाई पाडा श्री जी चौक अन्ता जिला बारां **(मालिक एवं विक्रेता)** मेसर्स गणेश मसाला गृह उद्योग, सब्जी मण्डी अन्ता जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री हेमन्त कुमार गुप्ता अभिभाषक (अप्राथी)

निर्णय दिनांक 14.11.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.6.2016 को मेसर्स गणेश मसाला गृह उद्योग, सब्जीमण्डी अन्ता पर पहुंचा। वहॉ पर श्री बालमुकन्द पुत्र श्री रामप्रताप **(मालिक एवं विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (श्री गणेश मसाला)** 500 ग्राम मात्रा में पोलीपेक मे विक्रय हेतु रखे हुये थे, जिसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से विक्रेता से **धनिया पाउडर (श्री गणेश मसाला)** 500 ग्राम मात्रा में पोलीपेक 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 160/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे **धनिया पाउडर (श्री गणेश मसाला)** 500 ग्राम के चार पैकेट को चार नमूना भाग मे कर मूल ही प्लास्टिक के डिब्बो मे भरकर लेबल तैयार कर, प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–653 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर उपर से नीचे तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 186/FSSA/Kota/Act/2016/354 दिनांक 30.11.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (श्री गणेश मसाला)** 500 ग्राम के चार पैकेट खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (श्री गणेश मसाला)** 500 ग्राम का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि प्रार्थी द्वारा इस्तगासे मे मद संख्या 1 लगायत 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है स्वीकार है जो कि एक कार्यप्रणाली है ओर जिसमे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अंकित नमूना मिलावटी का शक पर मानक स्तर की जांच हेतु लिया गया था। जो बाद जांच फूड विशेषज्ञ की जांच रिपोर्ट के अनुसार मानक स्तर पर पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया नमूना फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट मे स्टेण्डर्डराईज एवं मानक स्तर पर था जिसमे मिलावट का कोई भी अंश नही पाया गया।

मद संख्या 7 व 8 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है अस्वीकार है। जिसमे श्रीमान डी.ओ. (अभिहित अधिकारी) द्वारा एफ.एस.एस.एक्ट 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। डी.ओ. द्वारा धारा 32 की पालना के तहत भी प्रकरण का निस्तारण संभव था जो कि डी.ओ. द्वारा पालना नही की गई एवं नमूना मानक स्तर पर पाये जाने व लेबल पर पूर्ण सूचना एक्ट व नियमानुसार देने पर भी नमूने को मिस ब्राण्ड मानते हुए प्रकरण न्याय निर्णयन आवेदन हेतु आदेश जारी किये जो माननीय सर्वोच्य न्यायालय उच्च न्यायालयों के आदेश की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। इसलिए इस्तगासा खारिज किए जाने योग्य है।

यह कि दिनांक 16.9.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिलावट का शक होने पर अप्रार्थी के परिसर से एक नमूना धनिया पाउडर श्री गणेश मसाला के पैकेट जांच हेतु लिया गया एवं बाद मे जांच हेतु राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा भेजा गया, जहॉ फूड एनालिस्ट द्वारा नमूना मानक स्तर एवं स्टेण्डर्ड पाया गया। जिसमे ना तो कोई मिलावट पायी गयी और ना ही नमूना फूड नियमों के विपरीत पाया गया। जांच रिपोर्ट तारीख दिनांक 30.11.2016 के अनुसार धनिया पाउडर श्री गणेश मसाला का नमूना मिस ब्राण्ड पाया गया।

उक्त नमूना अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार किसी भी प्रकार की मिस ब्राण्ड की श्रेणी मे नही आता है जिसमे अधिनियम के अनुसार जो भी विवरण पेकेजिंग पर स्थापित किए गये है वे समस्त विवरण नमूने पेकेट पर पाये गये है। उपरोक्त नमूना धनिया पाउडर के कवर पेकेट पर सारा विवरण अंकित किया हुआ है। जबकि फूड एनालिस्ट के द्वारा यह मानते हुए कि नमूना अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्व है। अतः मिस ब्राण्ड की श्रेणी मे नमूने को बिना अपने विवेक का प्रयोग किये नमूने को मिस ब्राण्ड कर दिया गया। जबकि उक्त नमूना सभी नियम व अधिनियम के प्रावधानो के अधीन है। अतः जो विवरण फूड सेफ्टी अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत आवश्यक है और पेकेट व लेवल पर अंकित होने चाहिए वे समस्त सूचनाये अप्रार्थी द्वारा धनिया पावडर के कवर पेकिट पर अंकित की गई है। जो कि फूड एनालिस्ट के द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट मे भी अंकित है। अतः प्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया इस्तगासा खारिज किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 186/FSSA/Kota /Act/2016/354 दिनांक 30.11.2016 के बाद अप्रार्थी को धनिया पाउडर श्री गणेश मसाला की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच ली गयी, खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (श्री गणेश मसाला)** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी को कुल 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)